

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार,  
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 12 अ-82/17-18/30/0

बैतूल दिनांक 24 - 03-2018

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	भैसदेही	घोघामा	12.480	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल (म०प्र०)	पूर्णा लघु जलाशय योजना नहर रहित

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची)-

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	अर्जन का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	सरस्वती जौ दौलतराव जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	129/3	0.486	0.486
2	जगदीश उर्फ विजय जयप्रकाश पिता दौलतराव जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	129/2	0.809	0.706
3	नवीन सचिन, व. मानिकराव, जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	129/4	0.810	0.714
4	सचिन व. मानिकराव जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	129/5	0.510	0.399
		129/1	0.485	0.485
5	दिलीप अशोक, विजय व. जगन्नाथ जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	128/2	0.276	0.276
		126/2	1.147	1.147
6	गुना बेवा सरावन लोकनाथ धनराज, विरेन्द्र, बलदेव, व. सरावन, कमला सकुन, सरोज, रेखा, मंदा बूली, नाबालिक सरावन जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	128/1	0.040	0.040
		126/1	0.525	0.400
7	मालता जौ. टुकडया जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	126/3	0.809	0.809
8	पुन्जी बाई जौ चिन्धु जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	121/4	0.701	0.701
9	दिलीप प्रदीप, पिता केशोराव, जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	121/2	0.108	0.108

10	वासुदेव सुखदेव पिता गोविंदा, अशोक, श्रीनिवास ना.बा. पिता गोविन्दराव मां खुद जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	121/3	1.619	1.005
11	इठोबा पुत्र गणपता जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	122	0.866	0.866
12	भाउराव पुत्र जागो जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	120/1	0.202	0.134
13	दशरथ व. जागो जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	120/2	0.202	0.135
14	सत्यदेव व. जागो जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	120/3	0.203	0.101
15	जयराम व. लक्ष्मण जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	119	1.238	1.200
16	नामदेव पुत्र सीताराम जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	112/4	0.405	0.390
		113/5	0.809	0.185
17	सयाबाई जौजे डोमाजी जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	112/3	0.543	0.543
18	धरमराज व0 तुकाराम जाति कुन्बी सा देह	112/8	0.248	0.200
19	परसराम पुत्र सीताराम जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	112/1	0.980	0.220
20	माधोराव पुत्र तुकाराम जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	111/1	1.012	0.205
21	देवराव व. माधोराव जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	111/3	1.011	0.313
22	हीराबाई जौजे माधोराव जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	111/2	0.402	0.243
23	विनायकराव पुत्र निम्बा जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	110/4	0.235	0.235
24	रामाजी व. निम्बा जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	110/3	1.234	0.234
	<b>कुलयोग :-</b>		<b>16.429</b>	<b>12.480</b>

1- चूंकि पूर्णा लघु जलाशय नहर रहित, हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार,

  
( शशांक मिश्र )

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रतिलिपि:-

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म०प्र० भोपाल की ओर म०प्र० राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समुचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैसदेही की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार भैसदेही की ओर (तीन प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत घोघामा तहसील भैसदेही जिला बैतूल (म०प्र०) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

